



**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग**

Phone/Fax :- 01363-244204

E-mail :- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक :- 48 / 10 एल ए

दिनांक :- 04/07/2018

सेवा में ,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वनप्रभाग
गोपेश्वर, (चमोली)

विषय :- थिरपाक – काण्डई मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से चोपड़ाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- FP/UK/ROAD/11421/2015 EDS दिनांक 21.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	लगायी गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3
1	Name of four villages i.e. Chari, Naini (Choprakot), Tolna & Heen has been mentioned in the village wise breakup of forest land in para-B-2.3 of online Part - I but the name of one village i.e. Choprakot only has been mentioned in the FRA certificate as well as para-3 of the proceedings of the meeting of Gram Panchayat Choprakot. Although, it is mentioned in the reply that all the four villages come under Choprakot Gram Sabha only but the name of all four villages have not been mentioned in the FRA certificate and para-3 of proceedings of the meeting of Gram Panchayat Choprakot which is required to be mentioned.	FRA Certificate संशोधित करते हुए समस्त ग्रामों के Village Level Committee Certificate सहित पार्ट-1 Para-K(a) में अपलोड कर दिया गया है। जिसकी हार्ड कॉपी संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है। (संलग्न)
2	It is seen from the details given in a certificate showing length and width of the project provided in the hard copy of the proposal that 0.823 ha of Naap Land is also involved in the project but the details of Naap Land has not been shown in para-A-1 (ix) and para-B-2.1, B-2.2, B-2.3 & B-2.4 of online Part-I which is required to be given.	उक्त आपत्ति के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि पार्ट-1 के Para-A-1 (ix) Edit Mode में ना होने के कारण Non-forest land की प्रविष्टि किसी भी Para में नहीं हो पा रही है। अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त आपत्ति के निस्तारण हेतु अपने स्तर से NIC दिल्ली को पत्र लिखने की कृपा करें। ताकि प्रस्ताव में लगी आपत्तियों का निराकरण किया जा सके।
3	It is seen that 0.67 ha of Revenue Forest land, 1.697 ha of Village Forest land & 0.823 ha of Naap land is involved in the project. The no. of trees is shown as 166 in the enumeration list provided in the hard copy of the proposal as well as online Part-II. State Govt. may confirm if all 166 trees are present in the Revenue Forest land & Village Forest land only & no trees present in the Naap land are included in the 166 trees.	Enumeration list संशोधित करते हुए आपको प्रेषित की जा रही है। उक्त सूची में सम्मिलित सभी 166 वृक्ष सिविल वनभूमि एवं वनपंचायत भूमि में है। (सूची संलग्न)

4	The hard copy of the proposal contains photocopies of all the documents. State Govt. is required to submit original/attested photocopies of all the documents except FRA certificate, geo referenced digital maps for the forest land proposed for diversion and the land proposed for CA, CA scheme, CA site suitability certificate, Part- III, IV & V which are required in original copies.	प्रस्ताव की मूल हार्ड कॉपी पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 2187/10 एल.ए. दिनांक 04.08.2017 द्वारा नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित की गयी है। (प्राप्ति रसीद संलग्न) प्रस्ताव में geo referenced Map, CA scheme, CA site suitability certificate, enumeration List एवं पार्ट-I, पार्ट-II की मूल प्रति यथा स्थान संलग्न की गयी है। पार्ट-III की मूल हार्ड कॉपी संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है। पार्ट-IV की मूल हार्ड कॉपी नोडल स्तर से एवं पार्ट-V की मूल हार्ड कॉपी राज्य सरकार स्तर से उपलब्ध करायी जानी है।
---	--	---

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।

3/2/18
अधिरासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्मप्रयाग

FORM-I
(for Linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No. /

Dated : 06 / 09 / 2017

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that **2.367 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **Public Works Department Uttarakhand** for **Construction of Thirpak – Kandai Motor Road Km. 2 to Choprakot** falls within jurisdiction of Choprakot, Tonla, Heen Village in Tehsil Ghat/Chamoli,

It is further certified that :-

- (a) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.367 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it,
- (c) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above

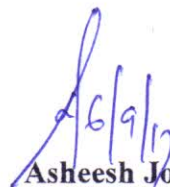

Asheesh Joshi
District Magistrate
Chamoli (Uttarakhand)

**Office of the District Collector,
District-Chamoli (Uttarakhand)**

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Asheesh Joshi, District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on ~~06.09.2017~~ At ~~12:00 PM~~ at Chamoli in which the application claiming rights in village - Choprakot, Tonla, Heen Village in Tehsil Ghat/Chamoli, area Measuring 2.367 Hectares for the **Construction of Thirpak – Kandai Motor Road Km. 2 to Choprakot** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee Ghat/Chamoli Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.



Asheesh Joshi
District Magistrate –cum-
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद चामोली के विकास खण्ड धार में अन्तर्गत शिखाक
काठई मोटर मार्ग के किमी. 2 में चौपड़ा मोर तक मोटर
मार्ग का निर्माण ,

कार्यालय उप जिलाधिकारी, चामोली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, -----

उपखण्ड ६७२ परिक्षेत्र के अन्तर्गत शिखाक काठई मोटर मार्ग १/१२ में
चौपड़ा मोर तक (२५-५ हे० आरक्षित वन भूमि, ०-२४० हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि १-६९३ हे०
वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल १-९३३ हे० वन भूमि) का
श्री नि. विजय प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील चामोली) की दिनांक ०५-०९-२०१७ को
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री परमानन्द राय उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री परमानन्द राय उपजिलाधिकारी अध्यक्ष

2- श्री पुष्पल किशोर उपप्रभागीय वनाधिकारी सदस्य

3- श्री नरत पन्थी सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य / सचिव

4- श्री महेश्वरी देवी वनाधिकार समिति सदस्य सदस्य

5- श्री मकुन्द देवी वनाधिकार समिति सदस्य सदस्य

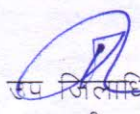
6 मीमटी सुसील देवी वनाधिकार समिति सदस्य सुशीला रावत

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि धिरण्य आर्बर्ड मोटर मार्ग के जिला 2 में चोपडागोटे तह मोटर मार्ग का

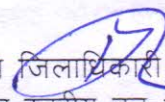
निर्माण परियोजना हेतु 1: 937 हे० वन भूमि लो. नि. नि. प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के सनक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, चमोली द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड धार परिक्षेत्र के अन्तर्गत धिरण्य आर्बर्ड मोटर मार्ग के जिला 2 में चोपडागोटे परियोजना के निर्माण हेतु 2: 367 हे० वन भूमि लो. नि. नि. प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील उप जिलाधिकारी
जनपद चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील उप जिलाधिकारी
जनपद चमोली

परियोजना का नाम:-

वनअधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम.....चोपडाकोट ग्राम-चरी, चोपडाकोट
तहसील.....घाट जिला.....चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत खिरपाठ काण्डई और भारी के वि० न० ०२ से चोपडाकोट के
खिरपाठ परियोजना के निर्माण हेतु५..... हे० आरक्षित वनभूमि ०.२४० हे० सिविल
सोयम भूमि १.६९७ हे० वनपंचायत भूमि अर्थात् कुल १.९३७ हे० वनभूमि का लौकिक विभाग/संस्था के
पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चोपडाकोट द्वारा दिनांक ०२/०९/१४ को सम्पन्न
ग्रामसभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण
पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत
आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित
सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का
कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर
ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया
कि ग्राम चोपडाकोट के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि लौकिक वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के
निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/- सरपंच
वन पंचायत ग्राम-चोपडाकोट
ग्रामसभा सदस्य (प्रति)



नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण
उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया
जायेगा।

दिनांक 02/09/17 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत.....चोपडाकोट (पिरी, चोपडाकोट)

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	संजय प्रसाद (पूर्व प्रधान)	Sanjay
2	प्रेम चन्द	प्रेम
3	चन्द प्रसाद	Chand
4	दीक्षा देवी	दीक्षा
5	मनाराम देवी	मनाराम
6	कमला देवी	कमला देवी
7	लक्ष्मी प्रसाद (सरपंच)	Laxmi
8	देवी प्रसाद	Devi Prasad
9	सुवेन्द प्रसाद	Suwend
10	इमेश चन्द	Imesh
11	हरेश चन्द	Haresh
12	मनोज	Manoj
13	देवेन्द प्रसाद	Devend
14	हरी प्रसाद	हरी प्रसाद
15	गोपाल देव	G.D. Parashar
16	राम प्रसाद	राम प्रसाद
17	सतीश चन्द	Satish Chandra
18	मुन्नी देवी	मुन्नी देवी
19	शकुन्तला देवी	शकुन्तला देवी
20	नेमी देवी	नेमी
21	बिनिता देवी	BINITA
22	शशमा देवी	Shashma
23	सीता देवी	सीता देवी
24	सरोज देवी	सरोज देवी
25	लाला प्रसाद	लाला प्रसाद

Laxmi
ग्राम पंचायत, चोपडाकोट
विकास, प्रगति, प्रगति



परियोजना का नाम:-

वनअधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चोपडाकोट ग्राम-तोलना
तहसील घाट जिला कोटा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

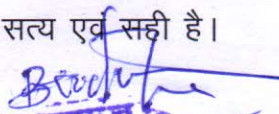
उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत धिराठ-काठई सोय मार्ग के km 2.5 चोपडाकोट
सोय मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 4 हे० आरक्षित वनभूमि 0.28 हे० सिविल
सोयम भूमि 1.697 हे० वनपंचायत भूमि अर्थात् कुल 1.977 हे० वनभूमि का जी०बि०सि० विभाग/संस्था के
पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चोपडाकोट द्वारा दिनांक 21.09.17 को सम्पन्न
ग्रामसभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण
पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत
आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित
सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का
कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि
ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

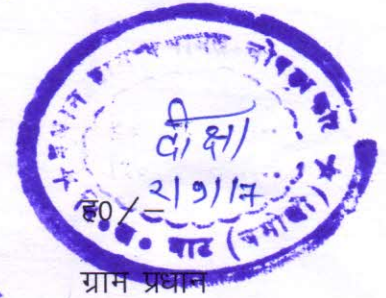
चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया
कि ग्राम चोपडाकोट के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि जी०बि०सि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के
निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव


सरपंच
वन पंचायत ग्राम चोपडाकोट
विकास अण्डा घाट (चमोली)
चोपडाकोट



नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण
उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया
जायेगा।

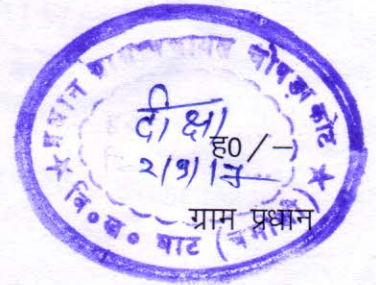
प्रपत्र - 23.1

दिनांक ०२/०९/१७ को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत सीपडकीर ग्राम लोचना

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	पवन	<u>Y. S. Singh</u>
2	वडी प्रसाद	<u>वडी प्रसाद</u>
3	बैरानाथ	
4	दिनेश चन्द	<u>Diresh Chandra</u>
5	मृपनेवा	<u>मृपनेवा</u>
6		
7	लालिता प्रसाद	<u>Narain</u>
8	नरेश प्रसाद	<u>Narain</u>
9		
10	नादिया	<u>masohar</u>
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

सरपंच
ग्राम पंचायत ग्राम लोचना
विकास खण्ड पाट (ग्राम)



परियोजना का नाम:-

वनअधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चिरपाड़ा चौपड़ मोरमणी के km 2 से चौपड़ मोरमणी
तहसील घाट जिला चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत चिरपाड़ा चौपड़ मोरमणी के km 2 से चौपड़ मोरमणी परियोजना के निर्माण हेतु X हे० आरक्षित वनभूमि 0.28 हे० सिविल सोयम भूमि 1.697 हे० वनपंचायत भूमि अर्थात् कुल 1.977 हे० वनभूमि का ली० नि० वि० विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चौपड़ मोरमणी द्वारा दिनांक 02/02/17 को सम्पन्न ग्रामसभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम घाट के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि ली० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

सरपंच
वन पंचायत ग्राम घाट
चिरपाड़ा चौपड़ मोरमणी
ह०/

ग्राम सचिव

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।



दिनांक 22/09/14 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत चोपडाकोट, ग्राम हीठा

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रामप्रसाद	
2	दयाराम	
3	रमेश चन्द	
4	भगवती प्रसाद	
5	सिता देवी	
6	कल देवी	
7	राजी देवी	
8	भगवती प्रसाद	
9	मोहन प्रसाद	
10	लक्ष्मी प्रसाद	
11	भोकराम लाल	
12	जगदीश प्रसाद	
13	शुक्ल प्रसाद	
14	देवी प्रसाद	
15	शारदा प्रसाद	
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

ग्रामपंचायत
चोपडाकोट, ग्राम हीठा
विभाग, ग्रामपंचायत (चोपडाकोट)

ग्रामपंचायत
हीठा - चोपडाकोट
विभाग, ग्रामपंचायत
चोपडाकोट



काण्डई मोटर मार्ग किमी 0 2 से चोपड़ाकोट तक मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित वृक्षों की व्यासवार गणना सूची

क्र० सं०	भूस्वामित्व	वृक्ष गणना		व्यासवार वृक्ष गणना										योग
		प्रजाति	किस्म	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 over	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	वन पंचायत तोनला	कलमिण्डा	हरा खड़ा	0	1	5	1	0	0	0	0	0	0	7
		रोहिणी	हरा खड़ा	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		उतीस	हरा खड़ा	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
		बांज	हरा खड़ा	0	2	5	7	4	1	1	0	0	0	20
		चीड़	हरा खड़ा	0	8	3	0	0	0	0	0	0	0	11
		तुन	हरा खड़ा	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
		कठमहुआ	हरा खड़ा	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		जैकरेण्डा	हरा खड़ा	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
			योग	0	14	16	12	4	1	1	0	0	0	48
2	सिविल वन	आंवला	हरा खड़ा	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
		भीमल	हरा खड़ा	0	2	6	1	2	2	0	0	0	0	13
		खड़ीक	हरा खड़ा	0	0	1	2	1	1	0	0	0	1	6
		जामुन	हरा खड़ा	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		तुन	हरा खड़ा	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		तिमला	हरा खड़ा	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	4
		चीड़	हरा खड़ा	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		कठमहुआ	हरा खड़ा	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			योग	0	5	10	4	5	4	1	0	0	1	30
3	हीण वन पंचायत	चीड़	हरा खड़ा	0	16	30	23	2	0	0	0	0	0	71
		बांज	हरा खड़ा	0	0	4	3	0	1	0	0	0	0	8
		उतीस	हरा खड़ा	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		कलमिण्डा	हरा खड़ा	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	7
		काफल	हरा खड़ा	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
			योग	0	16	36	32	3	1	0	0	0	0	88
			कुलयोग	0	35	62	48	12	6	2	0	0	1	166

हस्ताक्षर

वन क्षेत्राधिकारी
चमोली रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

चमोली रेंज के अन्तर्गत थिरपाक काण्डई मोटर मार्ग के किमी० 2 से चोपड़ाकोट मोटर मार्ग तक 4.00 किमी० मोटरमार्ग में प्रभावित वृक्षों की मूल्य सूची

क्र०सं०	प्रजाति व किस्म	वानस्पतिक नाम	व्यास वर्ग	संख्या	दर	धनराशि
1	2		4	5	6	7
1	चीड़	<i>Pinus roxburghii</i>	10-20	25	240.00	6000.00
			20-30	33	600.00	19800.00
			30-40	23	2330.00	53590.00
			40-50	2	5070.00	10140.00
	योग -			83		89530.00
2	बांज	<i>Quercus leucotrichophora</i>	10-20	2	145.00	290.00
			20-30	9	225.00	2025.00
			30-40	10	485.00	4850.00
			40-50	4	1050.00	4200.00
			50-60	2	1770.00	3540.00
			60-70	1	2580.00	2580.00
	योग -			28		17485.00
3	कलमिना		10-20	1	80.00	80.00
			20-30	5	160.00	800.00
			30-40	7	390.00	2730.00
			40-50	1	630.00	630.00
	योग -			14		4240.00
4	भीमल	<i>Grewia oppositifolia</i>	10-20	2	80.00	160.00
			20-30	6	160.00	960.00
			30-40	1	390.00	390.00
			40-50	2	630.00	1260.00
			50-60	2	780.00	1560.00
				13		4330.00
5	उत्तीस	<i>Alnus neplensis</i>	20-30	2	330.00	660.00
			30-40	3	550.00	1650.00
	योग -			5		2310.00
6	तुन	<i>Cedrela toona</i>	20-30	2	1160.00	2320.00
			40-50	1	4750.00	4750.00
	योग -			3		7070.00
7	रोहणी	<i>Melotus philipinensis</i>	10-20	1	80.00	80.00
	योग -			1		80.00
8	काफल	<i>Myrica esculenta</i>	20-30	1	160.00	160.00
	योग -			1		160.00
9	कठमहुआ	<i>Glochidion velutinum</i>	10-20	1	80.00	80.00
			20-30	2	160.00	320.00
	योग -			3		400.00
10	तिमला	<i>Ficus roxburghii</i>	20-30	2	160.00	320.00
			40-50	1	630.00	630.00
			60-70	1	1020.00	1020.00
	योग -			4		1970.00
11	जैकरेण्डा	<i>Jekrenda Mimocarpolia</i>	10-20	1	80.00	80.00
			30-40	1	390.00	390.00
	योग -			2		470.00
12	आंवला	<i>Phyllanthus emblica</i>	20-30	1	160.00	160.00
			50-60	1	780.00	780.00
	योग -			2		940.00
13	खड़ीक	<i>Celtis australis</i>	20-30	1	160.00	160.00
			30-40	2	390.00	780.00
			40-50	1	630.00	630.00
			50-60	1	780.00	780.00
			90 over	1	1800.00	1800.00
	योग -			6		4150.00
14	जामुन	<i>Syzgium cumini</i>	30-40	1	3320.00	3320.00
	योग -			1		3320.00
	कुलयोग -			166		136455.00

2/1/20

वन क्षेत्राधिकारी
चमोली रेंज
बदरीनाथ वन प्रभुषण गोपेश्वर



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

Phone/Fax :- 01363-244204

E-mail :- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 2107 / 10एल.ए.

दिनांक 4/8/2017

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :- थिरपाक कॉण्डई मोटर मार्ग के किमी. 02 से चोपड़ाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 2.367 हे. वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार द्वारा EDS पत्र संख्या FP/UK/Road/11421/2015 दिनांक 21.07.2017।

महोदय,

उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अनुरोध करना है, कि भारत सरकार द्वारा विषयगत मार्ग वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में आपति लगायी गई, कि प्रस्तावित वन भूमि की मूल प्रति दी जाय, जिसे अन्य मूल प्रपत्रों एवं मानचित्रों के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न:- प्रस्ताव मूल में एक नं.।

प्राप्तिका
21/8/2017

अधिकारी एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण निदेशालय (वन विभाग)
उत्तराखण्ड, देहरादून

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग,
कर्णप्रयाग।
4/8/17

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना)

Proposal No.FP/UK/Road/11421/2015

परियोजना का नाम— जनपद चमोली में थिरपाक—काण्डाई मोटर मार्ग किमी 0 02 से चोपड़ाकोट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

1.	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं। प्रभागीय वनाधिकारी के कार्यालय सन्तुति पर सहमत।
2.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है?	सहमत। परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न प्रजातियों के कुल 166 वृक्ष सम्भावित हो रहे हैं जिनमें 36 वृक्ष बांज के हैं।
3.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में सन्तुति की जाती है।

दिनांक 13-04-2016

स्थान चोटी

हस्ताक्षर.....

नाम

वन संरक्षक

गढ़वाल वृक्ष

चमोली जिला